दिनांक 16.03.2018 को निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा एन0एच0डी0सी0 के ई–धागा पोर्टल/ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से सूत आपूर्ति किये जाने के संबंध में विमर्श करते हुए इस योजना से राज्य के सभी पात्र एवं कार्यरत बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि0 को लाभान्वित कराने पर बल दिया गया। एन0एच0डी0सी0, शाखा कार्यालय– पटना के सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) श्री अम्बरीश कुमार मिश्रा को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये सात प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि0 एवं साठ व्यक्तिगत बुनकरों की सूची के अनुसार यार्न पास बुक यथाशीघ्र जारी किये जाने का निदेश दिया।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा बताया गया कि एन0एच0डी0सी0 द्वारा सूत आपूर्ति में विलम्ब किये जाने के कारण 45 दिनों की क्रेडिट अवधि की गणना सूत आपूर्ति की तिथि से किया जाना चाहिए ताकि लाभुकों को पूरे 45 दिनों के क्रेडिट अवधि का लाभ प्राप्त हो।

इस संबंध में स्पष्ट सूचना सभी लाभूक एजेंसियों को देने का निदेश सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), शाखा कार्यालय– पटना को दिया गया। सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) द्वारा इस संबंध में मुख्यालय से विमर्श कर अवगत कराने की बात कही गयी।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टैट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना द्वारा बताया गया कि बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों द्वारा स्थानीय बाजार से अपेक्षाकृत सस्ते दर पर सूत क्रय किये जाने के कारण ई–धागा पोर्टल पर सूत आपूर्ति हेतु indent नहीं दिया गया है। इस संबंध में श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि एन0एच0डी0सी0 के ई–धागा पोर्टल के माध्यम से आपूर्ति किया जाने वाला सूत प्रामाणिक मिलों से प्राप्त होता है और गुणवत्तापूर्ण होता है। उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर एवं बिहारशरीफ में क्रमशः 1.79 लाख रू0 एवं 1.90 लाख रू0 मूल्य के सूत की आपूर्ति कर दी गयी है।

दोनों शीर्ष संघ के प्रबंध निदेशक को स्थानीय बाजार से प्राप्त होने वाला सूत एवं एन0एच0डी0सी0 के ई–धागा पोर्टल से प्राप्त सूत के मूल्य एवं गुणवत्ता के संबंध में दोनों माध्यम से सूत क्रय किये जाने के विपत्र के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यदि यह पाया जाएगा कि स्थानीय बाजार के Quotation में दर अपेक्षाकृत कम है तो इस संबंध में एन0एच0डी0सी0 को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए दर संशोधित करने का अनुरोध किया जाएगा।

सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), एन0एच0डी0सी0 को दोनों शीर्ष संघ यथा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना के प्रबंध निदेशक एवं चार क्षेत्रीय संघ यथा क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, भागलपुर/नालन्दा/मधुबनी/सिवान के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर ई–धागा एप/ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से सूत आपूर्ति के कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। लाभुक एजेंसियों यथा दो शीर्ष संघ एवं चार क्षेत्रीय संघ को स्थानीय बुनकरों एवं समितियों के आवश्यकता एवं माँग के अनुरूप यथाशीघ्र माँग (indent) एवं 10% अग्रिम राशि एन0एच0डी0सी0, कोलकाता को भेजते हुए कृत कार्रवाई की सूचना देने का निदेश दिया गया। साथ ही ई–धागा एप/ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से सूत क्रय हेतु माँग भेजने में किसी भी प्रकार की जटिलता के निराकरण/समाधान हेतु राज्य में अवस्थित एन0एच0डी0सी0 का शाखा कार्यालय– उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना– 800001 में पदस्थापित सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) श्री अम्बरीश मिश्रा (मोबाइल नं0– 9453428932) से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

अध्यक्ष, दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना द्वारा कार्यशील पूँजी के रूप में स्वीकृत एक करोड़ रूपए संघ को दिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही उक्त राशि के व्यय हेतु संयुक्त खाते का संचालन करने के लिए दिशा–निर्देश में "प्रावधानित उप उद्योग निदेशक का संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा व्यय किया जाएगा" को विलोपित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से उक्त राशि का व्यय किये जाने का प्रावधान करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उक्त राशि के समरूप राशि संघ के पास नहीं होने की बात कही गयी। अतएव दिशा–निर्देश के कंडिका (4) एवं (7) को संशोधित करने का अनुरोध किया गया।

उन्हें दिशा–निर्देश की कंडिका (3), (4) एवं (7) के अनुसार कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र प्रतिवेदन, कार्य योजना एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने का निदेश देते हुए बताया गया कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ब्लॉक कलस्टर योजना के तहत भी संयुक्त खाता का संचालन IA एवं विभागीय पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रबंध निदेशक, राज्य संघ, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि पुल फंड/बफर फंड से राशि प्राप्त होने के कारण कार्यशील पूँजी नहीं चाहिए। शीप एण्ड ऊल संघ के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न संस्थाओं को समितियों के कार्यरत बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की आपूर्ति करने के पश्चात् राशि भुगतान में विलम्ब होने के कारण बुनकरों को शीघ्र मजदूरी भुगतान करने के लिए पुल फंड/बफर फंड योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए निदेश दिया गया कि दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना पूर्ण औचित्य के साथ कार्य योजना एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि उन्हें वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुल फंड/बफर फंड योजना के तहत 50.00 लाख रूपए की राशि राज्य संघ, राजेन्द्रनगर, पटना के तर्ज पर उपलब्ध करायी जा सके।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (यो0/एन0एच0डी0सी0/एकरारनामा)– 11/2017 ..... पटना/दिनांक– .....

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, भागलपुर/नालन्दा/मधुबनी/सिवान/श्री अम्बरीश कुमार मिश्रा, सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), शाखा कार्यालय– एन0एच0डी0सी0, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना– 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (यो0/एन0एच0डी0सी0/एकरारनामा)– 11/2017 ..562..... पटना/दिनांक– 26/3/18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.03.18

(12)

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।